# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– एफ2(3)लागत/1019 ए/2014–15/267 दिनांक :– 15/07/14

## कार्यालय आदेश

मण्डल की 221वीं बैठक दिनांक 25.02.2014 के बिन्दु संख्या 221.89 मे लिये गए निर्णयानुसार मुख्य अभियन्ता एवं वित्तीय सलाहकार की चर्चा पश्चात् प्रस्तुत वस्तुपरक रिपोर्ट के अनुसार मण्डल की 159वीं बैठक के विचार बिन्दु संख्या 159.17 के निर्णय की पालना मे जारी आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/53/558 दिनांक 25.02.1992, 168वीं बैठक के विचार बिन्दु संख्या 168.27 के निर्णय की पालना मे जारी आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/537 दिनांक 09.02.1995, 172वीं बैठक के विचार बिन्दु संख्या 172.07 के निर्णय की पालना मे जारी आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1015/45 दिनांक 11.04.1996, 188वीं बैठक संख्या के विचार बिन्दु संख्या 188.06 के निर्णय की पालना मे जारी आदेश क्रमांक 324 दिनांक 05.10.2001 एवं 216वीं बैठक के विचार बिन्दु संख्या 216.37 के निर्णय की पालना मे जारी आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1019 ए/260 दिनांक 02.08.2013 का एकजाई मंथन करने से स्पष्ट है, कि मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं मे व्यावसायिक भूखण्ड, निर्मित दुकान, पैट्रोल पम्प, सिनेमा, होटल आदि भूखण्डों की भूमि एवं विकास दर/आरक्षित दर रिहायशी भूमि की भूमि एवं विकास दर की चार गुणा (एक गुणा पर उपरिव्यय सहित) ही नियत है एवं उपरोक्तानुसार ही प्रभार की जा रही है। रिहायशी विकसित भूमि दर की आठ गुणा विकसित भूमि दर केवल वर्ष 1995 से पूर्व नीलामी द्वारा निस्तारित निर्मित दुकानों जिनका छत का अधिकार बोर्ड के पास है, के प्रकरणों तक ही सीमित/प्रभावी है, क्योंकि जब व्यावसायिक भूमि की भूमि एवं विकास दर/आरक्षित दर रिहायशी भूमि की दर की चार गुणा (एक गुणा पर उपरिव्यय सहित) ली जाती है, जिसमें समस्त अधिकार आंवटी का हो जाता है तो निर्मित दुकानों के प्रकरण में आठ गुणा लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता।

मण्डल की 222वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 के बिन्दु संख्या 222.13 के निर्णयानुसार दिनांक 09.02.1995 से पूर्व आयोजित नीलामी से निस्तारित निर्मित दुकानों, जिनकी छत का अधिकार बोर्ड के पास है, के प्रकरणों मे रिहायशी वर्तमान भूमि दर का चार गुणा (एक गुणा पर उपरिव्यय सहित) के आधार पर (नीलामी द्वारा पूर्व निस्तारित निर्मित दुकान के भूतल की चार गुणा के अतिरिक्त) राशि वसूल कर छत का अधिकार दिये जाने एवं दिनांक 09.02.1995 के पश्चात् आयोजित नीलामी से निस्तारित वाणिज्यिक भूखण्ड एवं निर्मित दुकानों (छत अधिकार सहित) भूमि एवं विकास दर का चार गुणा (मय एक गुणा पर उपरिव्यय सहित) वसूल किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बोर्ड मे लिये गए उक्त निर्णयान्तर्गत दिये गए निर्देशानुसार ऐसे प्रकरण जिसमें भूतल एवं प्रथम तल के लीजधारी अलग–अलग हो, तो भी लीज राशि की वसूली आवटंन के समय आरक्षित दर के अनुसार लागत सिद्धान्त–2010 के तहत होगी।

वित्तीय सलाहकार

कृ०प०उ०

RSS-in

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / वित्तीय सलाहकार, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) / प्रथम / द्वितीय, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
3. सचिव, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
4. अति॰मु॰ अभियन्ता, प्रथम / तृतीय / अध्यक्ष अवसायन समिति, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
5. अति॰मु॰ अभियन्ता, द्वितीय, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जयपुर / जोधपुर–प्रथम / द्वितीय / उदयपुर / कोटा / अलवर / बीकानेर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा॰आ॰म॰, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम / षष्ठम् / नवम् / दशम् / ग्यारह / बारह / तेरह,जयपुर / अजमेर / भिवाड़ी / भरतपुर / झुंझुनूं / डुंगरपुर / जैसलमेर / नागौर / बीकानेर / कोटा / अलवर / पाली / बांरा / दौसा / हनुमानगढ़ / चित्तौडगढ़।
11. लेखाधिकारी(वसूली),वृत्त–प्रथम / द्वितीय / तृतीय,जयपुर / जोधपुर–प्रथम / द्वितीय / उदयपुर / कोटा / अलवर / बीकानेर।
12. सम्बन्धित पत्रावली।
13. रक्षित फाईल।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (लागत)

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः— एफ2(3)लागत/1019A/268 दिनांक :15/07/14

**—: कार्यालय आदेश :—**

मण्डल की 222वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 के बिन्दु संख्या 222.12 एवं 222.14 में लिये गये निर्णय अनुसार बोर्ड की 216वीं बैठक दिनांक 16.08.2012 के विचार बिन्दु संख्या 216.36 एवं 216.38 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3) लागत/1019 A /260 दिनांक 02.08.2013 में आंशिक संशोधन कर, जिन प्रकरणों में वास्तविक निर्माण अवधि 18/30 माह से कम है उनमें वास्तवित निर्माण अवधि का आधा एवं जिन प्रकरणों में वास्तविक निर्माण अवधि 18/30 माह से अधिक है उनमें वास्तविक निर्माण अवधि का आधा पर ब्याज लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः— एफ2(3)लागत/1019A/268 दिनांक :15/07/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1 निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा॰आ॰म॰, जयपुर।

2 मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा॰आ॰म॰, जयपुर।

3 अति॰मु॰ अभियन्ता, प्रथम/तृतीय एवं अध्यक्ष अवसायन समिति, रा॰आ॰म॰, जयपुर।

4 अति॰मु॰ अभियन्ता, द्वितीय, रा॰आ॰म॰, जोधपुर/OSD/CEM/ जयपुर।

5 उप आवासन आयुक्त, वृत्त I/II/III, जयपुर/जोधपुर -I/II/ उदयपुर/कोटा/अलवर/ बीकानेर।

6 संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा॰आ॰म॰, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्ड़ल की वेबसाइट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।

7 आवासीय अभियन्ता, खण्ड़–I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/X/XI/XII/XIII, जयपुर, राज0आ0म0, जयपुर, PHE-I/II, जयपुर/जोधपुर–I/II/III/ उदयपुर-I/II/विद्युत, खण्ड़ जयपुर/अजमेर/भिवाड़ी/भरतपुर/झुन्झूनू/ डुंगरपुर/जैसलमेर/नागौर/बीकानेर/कोटा/अलवर/ पाली/ बारां/ दौसा/हनुमानगढ़/चित्तौड़गढ़।

8 सहायक लेखाधिकारी वृत्त– I/II/III, जयपुर/जोधपुर-I/II/उदयपुर/कोटा/ अलवर/ बीकानेर।

9 सम्बन्धित पत्रावली।

10 रक्षित फाईल।

वरिष्ठ लेखाधिकारी

Office Order Hindi/Hanuman Sahay/Costing

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– एफ2(3)लागत/1019 ए/2014–15/269 दिनांक :– 15/07/14

**कार्यालय आदेश**

मण्डल की 222वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 के बिन्दु संख्या 222.09 मे लिये गए निर्णयानुसार गोवर्धन विलास आवासीय योजना, उदयपुर मे एस॰एफ॰एस॰ 2010 के अन्तर्गत मध्यम आयवर्ग 'अ' (जी+3) 64 फ्लैटों के आंवटियों को जमा आरक्षण राशि पर ब्याज दिये जाने संबंधी जारी पत्र क्रमांक एफ2(3)लागत/841/59 दिनांक 28.04.2014 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बोर्ड मे लिये गए निर्णयानुसार आरक्षण पत्र विलम्ब से जारी करने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही सचिव स्तर पर की जानी है।

वित्तीय सलहिकार

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
3. सचिव, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
4. अति॰मु॰ अभियन्ता, प्रथम/तृतीय/अध्यक्ष अवसायन समिति, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
5. अति॰मु॰ अभियन्ता, द्वितीय, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर/जोधपुर–प्रथम/द्वितीय/उदयपुर/कोटा/अलवर/बीकानेर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा॰आ॰म॰, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम्/नवम्/दशम्/ग्यारह/बारह/तेरह,जयपुर/अजमेर/भिवाड़ी/भरतपुर/झुंझुनूं/डुंगरपुर/जैसलमेर/नागौर/बीकानेर/कोटा/अलवर/पाली/बांरा/दौसा/हनुमानगढ़/चित्तौडगढ़।
11. लेखाधिकारी(वसूली),वृत्त–प्रथम/द्वितीय/तृतीय,जयपुर/जोधपुर–प्रथम/द्वितीय/उदयपुर /कोटा/अलवर/बीकानेर।
12. सम्बन्धित पत्रावली।
13. रक्षित फाईल।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (लागत)

RSS-in

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– एफ2(3)लागत/1019 ए/2014–15/270 दिनांक :–15/07/14

## कार्यालय आदेश

मण्डल की 222वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 के बिन्दु संख्या 222.08 मे लिये गए निर्णयानुसार नीलामी योग्य संपत्तियों के निस्तारण के लिए राजस्व शाखा के गठन बाबत जारी आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1034/131 दिनांक 09.05.2014 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

चूंकि उक्त जारी आदेशानुसार नीलामी संबंधी समस्त कार्य राजस्व शाखा द्वारा सम्पादित किये जा रहे है, अतः बोर्ड मे लिये गए निर्णयानुसार समस्त उप आवासन आयुक्तों से नीलामी योग्य सम्पत्तियों (रिक्त भू–खण्ड/मकान/फ्लैट्स इत्यादि) का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सम्पत्ति पंजिका संधारित करते हुए प्रकरण आगामी मण्डल बैठक में राजस्व शाखा द्वारा प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वित्तीय सलाहकार

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
3. सचिव, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
4. अति॰मु॰ अभियन्ता, प्रथम/तृतीय/अध्यक्ष अवसायन समिति, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
5. अति॰मु॰ अभियन्ता, द्वितीय, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर/जोधपुर–प्रथम/द्वितीय/उदयपुर/कोटा/अलवर/बीकानेर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा॰आ॰म॰, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम्/नवम्/दशम्/ग्यारह/बारह/तेरह,जयपुर/अजमेर/भिवाड़ी/भरतपुर/झुंझुनूं/डुंगरपुर/जैसलमेर/नागौर/बीकानेर/कोटा/अलवर/पाली/बांरा/दौसा/हनुमानगढ़/चित्तौडगढ़।
11. लेखाधिकारी(वसूली),वृत्त–प्रथम/द्वितीय/तृतीय,जयपुर/जोधपुर–प्रथम/द्वितीय/उदयपुर /कोटा/अलवर/बीकानेर।
12. सम्बन्धित पत्रावली।
13. रक्षित फाईल।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (लागत)

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– एफ2(3)लागत/1019 ए/2014–15/271 दिनांक :– 15/07/14

**कार्यालय आदेश**

मण्डल की 222वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 के बिन्दु संख्या 222.03 मे लिये गए निर्णयानुसार वर्ष 2013–14 के लिए महला आवासीय योजना, अजमेर रोड़, जयपुर की भूमि एवं विकास दर के जारी आदेश क्रमांक F2(3)Costing/PSFA/195 दिनांक 26.02.2014 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्तीय सलाहकार

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
3. सचिव, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
4. अति॰मु॰ अभियन्ता, प्रथम/तृतीय/अध्यक्ष अवसायन समिति, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
5. अति॰मु॰ अभियन्ता, द्वितीय, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा॰आ॰म॰, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर/जोधपुर–प्रथम/द्वितीय/उदयपुर/कोटा/अलवर/बीकानेर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा॰आ॰म॰, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम्/नवम्/दशम्/ग्यारह/बारह/तेरह,जयपुर/अजमेर/भिवाड़ी/भरतपुर/झुंझुनूं/डुंगरपुर/जैसलमेर/नागौर/बीकानेर/कोटा/अलवर/पाली/बांरा/दौसा/हनुमानगढ़/चित्तौडगढ़।
11. लेखाधिकारी(वसूली),वृत्त–प्रथम/द्वितीय/तृतीय,जयपुर/जोधपुर–प्रथम/द्वितीय/उदयपुर /कोटा/अलवर/बीकानेर।
12. सम्बन्धित पत्रावली।
13. रक्षित फाईल।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (लागत)